

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमाक/रीडर/2025/3722

दिनांक 16/10/2025

उगवानी प्रकरण बोहीलाल बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 194 / 2025

—: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त निपयानार्थ लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक 01/भू.अ./2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के मुगे खाता संख्या 77, 78, 79 में खातेदार बोहू पुत्र महदेव जाति जाट के स्थान पर बोहीलाल उर्फ बोहू पुत्र महदेव का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का किशोरपुरा उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमाक/रीडर/2025/3723.24  
प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

दिनांक 16/10/2025

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)